कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह (म.प्र.)

E-mail-dcourtdam-mp@nic.in*contact no. 07812-292456 Fax-227733*

// वाहन नीलाम विज्ञप्ति //

कमांक 25(2)..../विविध/विकय समिति/2024   दमोह दिनांक–04/04....../2024

सर्वसाधारण को इस नीलाम विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि न्यायालय दमोह, जिला दमोह के परिसर में स्थित अनुपयोगी **(1)** शासकीय वाहन कमांक एम.पी.–02 एच.सी.–0222 टाटा इंडिगो माजा निष्प्रयोजित राशि रूपये 1,50,000/–मात्र **(2)** शासकीय वाहन कमांक एम.पी.–02 एच.सी.–0160 महिन्द्रा जायलो दमोह निष्प्रयोजित राशि रूपये 1,50,000/– मात्र एवं तहसील न्यायालय परिसर हटा में स्थित **(3)** शासकीय वाहन कमांक एम.पी.–02 एच.सी. –161 महिन्द्रा जायलो कार निष्प्रयोजित राशि रूपये 1,60,000/– मात्र जहा है, जैसी स्थिति में है को दिनांक–**24.04.2024** को प्रातः **11:00** बजे खुली निविदा के माध्यम से नीलाम किया जाना है। उक्त नीलामी मे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह के नाम से तीनों शासकीय वाहनों हेतु पृथक–पृथक देय राशि रूपये 3,500/– मात्र का बैंक ड्राफ्ट अमानत राशि के रूप में जमा कर भाग लिया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार वाहनों की खुली निविदा के माध्यम से नीलामी हेतु निविदा की शर्ते निम्नानुसार हैः–

–::निविदा की शर्तेः:–

1. **(1)** शासकीय वाहन कमांक एम.पी.–02 एच.सी. 0222 टाटा इंडिगो माजा कार न्यूनतम आफसेट मूल्य रूपये 1,50,000/– मात्र (शासकीय बोली) नियत है।

(2) शासकीय वाहन कमांक एम.पी.–02 एच.सी.–0160 महिन्द्रा जायलो दमोह निष्प्रयोजित राशि रूपये 1,50,000/– मात्र (शासकीय बोली) नियत है।

(3) शासकीय वाहन कमांक एम.पी.–02 एच.सी.–0161 महिन्द्रा जायलो तहसील न्यायालय हटा जिला–दमोह निष्प्रयोजित राशि रूपये 1,60,000/– मात्र (शासकीय बोली) नियत है।

2. उक्त अनुपयोगी/अपलेखित शासकीय वाहनों की नीलामी में लेने/बोली लगाने हेतु तीनों शासकीय वाहनों हेतु पृथक–पृथक अमानत राशि रूपये 3,500/– मात्र (रूपये तीन हजार पांच सौ मात्र) का बैंक ड्राफ्ट प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश .दमोह के नाम देय, सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने की पात्रता होगी।

3. अमानत राशि का बैंक ड्राफट नीलामी की समाप्ति पर, असफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को वापस लौटाया जावेगा तथा सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को उनके द्वारा लगायी गयी बोली/स्वीकृत की गयी पूरी राशि जमा करने के पश्चात् लौटाया जावेगा।

4. किसी भी बोली को बिना कारण बताये पूर्ण रूप से स्वीकार करने/अस्वीकार करने/आंशिक रूप से स्वीकार करने/अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार सर्वथा, "विभागीय नीलामी समिति" दमोह को प्राप्त होगा।

5. अतः नियत दिनांक के पूर्व संबंधित बोलीकर्ता द्वारा उपरोक्तानुसार वाहनों का अवलोकन उपरोक्तानुसार स्थल पर किया जा सकेगा।

6. नीलामी के संबंध में बोली या विवाद के संबंध में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम बोली लगाने वाले पर बंधनकारी होगा।

7. अधिकतम बोली की राशि की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात् अनुपयोगी शासकीय वाहन क्रेता को प्रदान किया जावेगा।

8. अधिकतम बोलीकर्ता को स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के पश्चात 07 दिवस के अंदर बोली की संपूर्ण राशि बैंक ड्राफ्ट जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह के नाम पर देय हो, जमा करवाकर वाहन को स्वयं के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा अन्यथा अमानत राशि शासन के पक्ष में राजसात की जावेगा।

9. संबंधित वाहन कमांक **(1)** शासकीय वाहन कमांक एम.पी.–02 एच. सी.–0222 टाटा इंडिगो माजा एवं **(2)** शासकीय वाहन कमांक एम.पी.–02 एच.सी. –0160 महिन्द्रा जायलो दमोह भौतिक निरीक्षण हेतु न्यायालय दमोह जिला दमोह परिसर में उपलब्ध है तथा वाहन कमांक **(3)** शासकीय वाहन कमांक एम.पी. –02 एच.सी.–0161 महिन्द्रा जायलो तहसील न्यायालय हटा परिसर में उपलब्ध है इस हेतु जिला नाजिर/नायब नाजिर दमोह/हटा से कार्यालयीन दिनांक/समय में संपर्क किया जा सकता है।

10. बोलीकर्ताओं द्वारा नीलामी में उपस्थित होकर वाहनों को कय करने हेतु बोली लगाने की स्थिति में नीलामी संबंधी संपूर्ण शर्ते स्वीकार कर ली गयी है, ऐसा माना जावेगा।

11. अनुपयोगी शासकीय वाहनों के विकय के पश्चात् कार्यालय द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने पर, उक्त शासकीय वाहनों का नियमानुसार शासकीय पंजीयन विलोपित करने एवं क्रेता के नाम पंजीयन एवं बीमा कराये जाने की संपूर्ण जवाबदारी क्रेता की होगी।

12. वाहन कमांक चेचिस नंबर, इंजिन नंबर का मिलान निविदाकार को नीलामी स्थान पर ही करना होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति कय संबंधी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत मान्य नही की जावेगी।

13. उपरोक्त नियमों की शर्तो का शिथिलिकरण स्थापना पर गठित विभागीय नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

14. वाहनों के संबंध में पूछताछ हेतु श्री अमित राज (विकय आमीन) के दूरभाष नंबर **9039071986** पर कार्यालय समय में संपर्क कर सकते हैं।
9039071986

1/4/24

कृते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह (म.प्र.)